enormously during the last six months, and if so, what was the increase month-wise upto the period ending 30th June, 1984;

(b) whether it is also a fact that the prices of all the items of daily-use have considerably increased during the last one year adversely affecting the poor and common people of the country; and

(c)' if so, what steps are being taken by Government to contain the prices of essential commodities of daily use?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) and (b) As the attached statement shows, prices of various essential articles have fluctuated from month to mcnth. *[See* Appendix CXXXI, Annexure No. 4].

(c) The price situation is kept under constant review, and from time to time steps have been taken, both on the demand and supply side, to contain inflation. These include, *inter alia,* strengthening of the public distribution system, larger releases of foodgrains, sugar and edible oils and mopping up of excess liquidity in the system.

तस्करों के परिसरों पर छापे

298. **श्री विश्व गोस्वामी :**
श्री सुशील चन्द्र महन्त :
डा० शांति गों० पटेल
डा० बापू कालदाते :
श्री इन्द्रदीप सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तस्करों के नाम क्या हैं जिनके परिसरों पर जून और 20 जुलाई, 1984 के मध्य छापे मारे गये थे, कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया छापों के दौरान जब्त की गई नकदी और जवाहरात आदि की कुल मात्रा क्या है तथा कितने तस्करों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें चलाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार तस्कर-व्यापार क्रियाकलापों को रोकने के लिए कठोर उपाय करने के लिए संसद के समक्ष कोई विधेयक लाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस संबंध में नियमों तथा कानूनों में त्रुटियों की वजह से मार्च, 1984 में हाजी मस्तान को उच्चतम न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० कृष्णा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सरकार का विचार संसद के चालू सत्र के दौरान एक विधेयक पेश करने का है, जो 13 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसके द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी-निवारण अधिनियम, 1974 के कतिपय उपबन्धों में संशोधन किया गया है ।

(ग) सम्भावतया माननीय सदस्य, भारत संघ द्वारा श्री हाजी मस्तान मिर्जा के खिलाफ दायर की गई दाण्डिक अपील में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23 फरवरी, 1984 के निर्णय का उल्लेख कर रहे हैं ।

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 6 (1) के तहत श्री हाजी मस्तान मिर्जा को जारी किए गये एक नोटिस के तथा धारा 7 के अधीन जारी किये गये आदेश के खिलाफ श्री हाजी मस्तान मिर्जा द्वारा दायर की गई दाण्डिक

याचिका में बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ, सरकार ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्वोक्त निर्णय के द्वारा भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत पारित 19-12-1974 के नजरबन्दी आदेश को तथा उसके परिणामतः तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, के अधीन कार्यवाही को मंसूख कर दिया।

इंडियन एयरलाइन्स की एयरबस का श्रीनगर से अपहरण करके लाहौर ले जाया जाना

299. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री बो० सत्यनारायण रेड्डी :
श्रीमती रत्न कुमारी :
श्री एफ० एम० खान :
श्री सैयद अहमद हाशमी :
श्री चिमनभाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंडियन एयरलाइन्स की एयरबस का अपहरण करके श्रीनगर से लाहौर ले जाने की घटना की जांच करने के लिए किसी जांच समिति की नियुक्ति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच-समिति किन निष्कर्षों पर पहुंची है ;

(ग) हाल ही में हुई अपहरण की घटना को देखते हुए देश में हवाई-पत्तनों पर और क्या सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्हें इस मामले में जारकाह पाया गया है, कोई कार्यवाही की गई है या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में बढ़गांव पुलिस स्टेशन में रंबोर दंड संहिता तथा विमान अपहरण विरोधी अधिनियम 1982 के अंतर्गत एक फौजदारी मुकदमा पंजीकृत किया है। जम्मू और कश्मीर सरकार के अनुरोध पर इस मामले की जांच का काम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले लिया है। जांच चल रही है। नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा प्रशासनिक जांच के लिए भी आदेश दिए गए हैं।

(ग) सुरक्षा संबंधी उपाय और अधिक प्रभावी किए गए हैं तथा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(1) प्रचालन क्षेत्र में प्रवेश के लिए फोटो पास के जारी करने की समीक्षा की गई है तथा इन पासों को संख्या अनिवार्य ड्यूटी करने वालों तक सीमित कर दी गई है ;

(2) ऐसे पास रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच करवानी आवश्यक है ;

(3) कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर सीढ़ियों पर चढ़ने के समय जांच भी शुरू की गई है ;

(4) यह निर्णय किया गया है कि सफाई करने वाले, खानपान प्रबंध करने वाले और अन्य सेवा वाले कर्मचारियों को विमान में प्रवेश से पहले जांच की जाएगी ;

(5) विमान में कार्गो की अन्तराल अवधि की आवश्यकता को चढ़ाई से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) दिनांक 5 जुलाई, 1984 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर यात्रियों के विमान में चढ़ने से पहले की जांच